पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कोलोनी,
टी. आर. डब्लू भवन के नजदीक,
पोस्ट+थाना - शास्त्रीनगर, पटना- 800023

संदर्भ: पावरग्रिड/पू.क्षे.-1 क्षे.मु./आर.टी.आई-348/2023-24/ 185 दिनांक: 19.05.2023

सेवा में,
Shri Anisur Rahaman Middya,
Vill: Bijra, P.O: Dhabani,
Dist: Paschim Bardhaman,
West Bengal-713205,
West Bengal

विषय : **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत माँगी गयी जानकारी के संबंध में ।**

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु आपके द्वारा ऑन लाईन माध्यम से आवेदन (RTI MIS Reference न0 PGCIL/R/E/23/00131 दिनांक 07.04.2023) पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-॥ कोलकाता को प्रेषित किया गया था। उक्त आवदेन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-॥ कोलकाता द्वारा दिनांक 01.05.2023 को पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-I, आर. टी. आई, विभाग, पटना को प्रेषित किया गया था। आपके द्वारा वांछित सूचना से संबंधित जानकारी निम्न हैं।

माँगी गयी सूचना	**सूचना की जानकारी**
Tower Details 1. POWERGRID DGP-JSR 0007 2. POWERGRID DGP-JSR 0008 3. POWERGRID DGP-JSR 0009 4. POWERGRID DGP-JSR 0010	भारत सरकार द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 में तारयंत्र प्राधिकारी (Telegraph Authority) को प्राप्त सभी शक्तियां पावरग्रिड को प्रदान की गयी हैं। POWERGRID has been given all the powers conferred on the Telegraph Authority by the Indian Telegraph Act, 1885 by the Government of India.
Long ago, a project regarding drawal of high voltage electricity transmission lines was implemented in our area. For that, it required erection of towers among which one was erected in the middle of the aforementioned plot. As a result, the ground where the tower is situated is not usuable. Furthermore, the entire plot has lost	भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 10 के अनुसार तारयंत्र प्राधिकारी (Telegraph Authority) किसी भी स्थावर संपति के नीचे, ऊपर, सहारे आर पार लाईनों का निर्माण कर सकेगा तथा उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेगा। अर्थात विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु किसी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाता हैं। तथा निर्माण के दौरान कम से कम नुकसान हो ऐसा प्रयास किया

19/5/23

its productivity due to restriction in access as well as safety issues. This prayer is being submitted to gather information about the following 1. Whether any compensation was provided to the then owner of the land? 2. If no, what was the reason behind the same? 3. If yes, please provide the details of the compensation.	जाता है और हित्तबद्ध व्यक्तियों को नुक्सान के लिए नियमानुसार पूर्ण मुआवजा दिया जाता हैं। According to Section 10 of the Indian Telegraph Act, 1885, the Telegraph Authority may construct lines under, over, along and across any immovable property and shall not acquire any other right except the right of use. That is, no land is acquired for the construction of power transmission line. and minimum damage during construction. That is, no land is acquired for the construction of power transmission line and effort is made to cause minimum damage during construction and full compensation is given to the effected persons as per the rules. टावर निर्माण के पश्चात भी भूमि, भू-स्वामी की रहती है। टावर निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार का जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाता हैं। इसलिए जमीन का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं हैं। Even after the construction of the tower, the land remains with the land owner. No land acquisition is done during the tower construction. That's why there is no provision for compensation for the land. टावर निर्माण में दिया जाने वाला फसल क्षति मुआवजे का निर्धारण, टावर निर्माण के दौरान होने वाले वास्तविक फसल क्षति पर आधारित होता हैं। Determination of crop compensation to be given in tower construction is based on the actual crop damage caused during tower construction. आपके सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित आवेदन पत्र में वर्णित लाइन का निर्माण वर्ष 1994 (लगभग 29 बर्ष पूर्व) हो गया था, और इतने वर्ष पूर्व दिये गये मुआवजे के दस्तावेज इस कार्यालय में अब उपलब्ध नहीं हैं। The construction of the line mentioned in the application sent for your information was completed in the year 1994 (about 29

19/05/23

	years ago), the documents pertaining to compensation given so many years ago are no longer available in this office.

टिप्पणी: द्विभाषीय में दी गई जानकारी में यदि भाषा की वजह से उत्पन्न हुई असमंजस/भ्रम की स्थिति में हिंदी में दी गई जानकारी मान्य होगा।

First Appellate Authority Address:
Chief General Manager(I/C), Eastern Region-I
Power Grid Corporation of India Ltd
BSEB Board Colony, Near TRW Centre
At+P.O: Shastri Nagar, Patna-800023(Bihar)

सधन्यवाद ।

भवदीय

19/05/2023

(एम. क्यू. हुदा)
मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) सह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी